BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 30th November 2017 | No. 11

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

प्रेरणा ताज बहादुर सिंह जैन के निधन के बाद उनकी इच्छा के अनुसार परिवार ने नेत्रदान कराया

जीवन भर रक्तदान, मरने के बाद किया नेत्रदान

• उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने परिवार को प्रशंसा पत्र भेंट किया • उनके इस नेत्रदान से दो लोगों को मिलेगी नयी रोशनी, बेटे ने बताया परिवार पहले से ही इसके प्रति जागरूक • मरने के बाद भी दुनिया देखेंगी ताज बहादुर सिंह जैन की आँखें

ताज बहादुर सिंह जैन के निधन के बाद उनकी इच्छा अनुसार परिवार ने उनका नेत्रदान कराया। अक्सर दूसरों के लिए रक्त दान करने वाले ताज बहादुर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अब उनकी आंखें संसार को देख पायेंगी। परिवार वालों की राय पर उन्होंने पहले से ही निधन के बाद आंखें दान करने की इच्छा जता रखी थी। लिहाजा उनके निधन के बाद उनके पुत्र राजेश जैन ने आईजीआईएमएस के डोनेशन बैंक में अपने पिता का नेत्र दान किया। इनके नेक काम के बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा परिवार को प्रशंसा पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर विभूति प्रसाद सिन्हा ने बताया कि अब दो मरीजों को आसानी से रोशनी मिल सकती है।

निधन से जैन समाज मर्माहत : पटना के जाने माने समाजसेवी ताज बहादुर सिंह जैन के दिनांक 15 नवम्बर 2017 को आकस्मिक निधन से जैन समाज में शोक की लहर फैल गयी है। स्व० जैन बिहार चैम्बर आफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के पद पर भी रहे। मृदुभाषी स्वभाव के जैन व्यावसायिक संगठन, धार्मिक संगठन के अतिरिक्त सामाजिक संगठन रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए थे। उनका अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, चैम्बर अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल के साथ-साथ सैकड़ों की संख्या में परिजन, उद्यमी के साथ जैन संघ एवं रोटरी के सदस्यों के अतिरिक्त पटना के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर उनको अंतिम विदाई दी। दाह संस्कार में शामिल होने के बाद श्री मोदी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि मृत्यु के बाद अंगदान कर हम जहाँ दूसरों को नई जिंदगी देते हैं, वहीं अपने जीवन की भी दूसरी पारी शुरू करते हैं। जल्द ही राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल सहित बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में आईबैंक की स्थापना कर दी जायेगी। इधर, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बिहार जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट (पावापुरी) के सचिव ताज बहादुर सिंह जैन 'राजाबाबू' के निधन पर दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पटना के जैन तीर्थों के विकास की दिशा में राजा बाबू सदैव सक्रिय रहे।

नेत्रदान के प्रति परिवार है जागरूक : ताज बहादुर जी के बेटे राजेश जैन ने बताया कि नेत्रदान के प्रति उनका परिवार पहले से ही जागरूक है। पिता जी हम लोगों के बीच जिंदा रहें और उनकी याद सदा बनी रहे, इसलिए आँखों का दान किया गया, ताकि दूसरे लोग भी इस संसार को देख सकें। राजेश जैन का कहना है कि नेत्रदान के बाद जब दूसरे लोगों को ट्रांसप्लांट किया जायेगा, तो हम लोगों को महसूस होगा कि मेरे पिता जी अब भी इस संसार में हैं और वे अपनी आँखों से हमारे परिवार और इस संसार को देख रहे हैं। **(प्रभात खबर, 16.11.2017)**

हिन्दुस्तान अखबार और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की जीएसटी पर साझा परिचर्चा

डेढ़ करोड़ टर्नओवर वालों को राहत के आसार : सुशील मोदी

परिचर्चा को संबोधित करते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, कमिश्नर सीजीएसटी पटना, श्री रंजीत कुमार, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं अन्य।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2.11.2017 को कहा कि जीएसटी काउंसिल की कोशिश है कि सालाना डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले सभी करदाताओं को हर महीने की जगह तीन महीने पर विवरणी दाखिल करने की सुविधा मिले। अभी यह सुविधा कम्पोजिट स्कीम में एक करोड़ तक सालाना

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय महोदय,

नवम्बर माह चैम्बर के लिए हर्ष और विषाद का महीना रहा।

चैम्बर के एक वरिष्ठ एवं कर्मठ सदस्य श्री ताज बहादुर सिंह जैन जिन्हें लोग राजा बाबू के नाम से भी जानते थे, का असामयिक निधन दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को होना सर्वाधिक दुःखद समाचार रहा। स्व0 जैन चैम्बर के एक सक्रिय सदस्य के रूप में जाने जाते रहे थे। वे एक सच्चे कर्मयोगी थे एवं कई संगठनों में सकारात्मक कार्यों के लिये जाने जाते थे। स्व0 जैन ने चैम्बर में उप-समिति के चेयरमैन, कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। वे जिस भी संगठन में रहे, उस संगठन के प्रथम पंक्ति के कार्यकर्त्ता रहें एवं उन संगठनों के उत्थान के लिये सतत् प्रयत्नशील रहे। जीवनपर्यन्त तो वे सक्रिय रहे ही, मृत्योपरान्त भी अपने नेत्र दान कर एक अनूठी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन हमलोगों को दे गये। उनके निधन से चैम्बर का एक मजबूत आधार स्तम्भ खो गया है।

मैं आप सभी सदस्यों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ तथा परम् पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान करें एवं उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

दिनांक 2 नवम्बर, 2017 को दैनिक समाचार हिन्दुस्तान के साथ GST पर एक संवाद का कार्यक्रम चैम्बर प्रांगण हुआ जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी मुख्य अतिथि थे। इस आयोजन में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे जिनके द्वारा GST सम्बन्धी महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। दिनांक 8 नवम्बर, 2017 को भी विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ चैम्बर में GST पर एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में भी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी कृपापूर्वक उपस्थित थे। इन दोनों बैठकों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों पर माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 नवम्बर, 2017 को गोहाटी में आयोजित होने वाली GST कौंसिल की तृतीय बैठक में इन्हें विचारार्थ रखा जायेगा।

GST कौंसिल की तृतीय बैठक ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए करीब 177 वस्तुओं पर GST की दरों में कटौती का फैसला लिया है। काफी चीजों का GST 28% से 18% कर दिया गया। इससे आम उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। यह निर्णय सर्वाधिक सुखद रहा।

चैम्बर अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन में भी इस माह सक्रिय रहा। दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को मेदान्ता के सहयोग से एक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन चैम्बर परिसर में किया गया जिसमें काफी लोगों ने जाँच करायी एवं डॉक्टरों से परामर्श लिया। इसके अतिरिक्त 28 नवम्बर, 2017 को ही छात्रों के लिये रोटरी पाटलिपुत्रा क्लब के सहयोग से एक क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन चैम्बर में किया गया।

चैम्बर के कार्यक्रमों में आपके सहयोग हेतु मेरा हार्दिक आभार।

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

जीएसटी परिचर्चा को संबोधित करते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। उनकी दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। बाँयीं ओर हिन्दुस्तान के वरीय स्थानीय संपादक श्री तीरविजय सिंह, पॉलिटीकल एडिटर श्री विनोद वन्धु, विशेष संवाददाता श्री आशीष कुमार मिश्र एवं अन्य।

टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ही है।

जीएसटी पर 'हिन्दुस्तान' अखबार और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की परिचर्चा में सुशील मोदी ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि मंत्रियों के समूह ने जीएसटी में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। गौरतलब है कि मोदी जीएसटी पर पाँच सदस्यीय मंत्री समूह के अध्यक्ष भी हैं।

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में अगर मंत्रीसमूह के सुझावों को मंजूर कर लिया गया तो व्यापारियों और करदाताओं की कई परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि डेढ़ करोड़ टर्न ओवर में एचएसएन कोड देने की जरूरत नहीं है।

सुशील मोदी ने व्यापारियों को सरकार का अवैतनिक कर्मचारी बताते हुए कहा, आप केन्द्र व राज्य सरकार के खजाने को भर रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक कर संग्रह करें। विकास के लिए पैसा चाहिए। पैसा होने पर ही अच्छी सड़क, पानी, बिजली व अन्य आधारभूत सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं। विकास कार्यों से ही सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकती है।

"जीएसटी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है पर, कुछ लोग डरे हुए है। पीएम ने साफ कहा है कि पिछला बही-खाता नहीं खुलेगा। जीएसटी काउंसिल तीन माह में विवरणी दायर करने की सुविधा दिलाने की कोशिश कर रही है। – **सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री**

एक दिन में 13 लाख रिटर्न हुए अपलोड : उप मुख्यमंत्री ने कहा कि

परिचर्चा को संबोधित करते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। साथ में हिन्दुस्तान के संपादक एवं चैम्बर के पदाधिकारीगण।

चैम्बर एवं हिन्दुस्तान की तरफ से जीएसटी पर आयोजित परिचर्चा में व्यापारियों की समस्याओं की जानकारी लेते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी।

जीएसटी में प्रारम्भिक परेशानियां हो रही है। इसके नेटवर्क का संचालन इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी कर रही है। अब तक 44 करोड़ इन्वॉयस अपलोड हुए हैं। जबकि इसकी क्षमता तीन सौ करोड़ इन्वॉयस की है। एक घंटे में एक लाख व एक दिन में 13 लाख तक रिटर्न अपलोड हो चुके हैं। जीएसटी में आईटी आधारित व्यवस्था लागू की गई है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है।

राहत संभव : • कम्पोजिट स्कीम में फ्लैट टैक्स 0.5 फीसदी हो सकता है • कम्पोजिट स्कीम के व्यापारी अंतरराज्यीय व्यापार कर सकेंगे • मैनुफैक्चरिंग सेक्टर दो के बजाए एक ही कर में शागिल • रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला टैक्स भी घटाया जाना संभव।

स्टाम्प ड्यूटी पर जीएसटी काउंसिल में की जाएगी चर्चा

दैनिक हिन्दुस्तान ने 2.11.2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के सहयोग से चैम्बर में जीएसटी संवाद का आयोजन किया। इसमें बिहार के लगभग सभी जिलों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं सचिव के अलावा सैकड़ों व्यापारी (थोक एवं खुदरा), निर्माता, चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं अधिवक्ता उपस्थित हुए। सभी ने जीएसटी लागू होने के बाद आ रही समस्याएं गिनाई, सुझाव भी दिए। व्यापारियों की मांग सुनने के बाद उसी समय जीएसटी संबंधित आधिकतर परेशानियों को दूर किया गया। जबकि कुछ मांगों के बारे में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगें जायज हैं। व्यापारियों से जो नए सुझाव आए हैं उसे भी काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा।

व्यापारियों की कठिनाइयां दूर करने की जरूरत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी अच्छी पहल है। लेकिन इसके लागू करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर किए जाने की जरूरत है। व्यवसायियों को इस कर प्रणाली में दिक्कत महसूस हो रही है। इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए। छोटे व मंझोले व्यवसायियों को हो रही परेशानियों को भी ध्यान में रखकर दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। 31 मार्च 2018 तक के लिए स्थगित किए गए रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म को हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही जीएसटी लागू होने के एक वर्ष तक व्यापारियों को किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं लगनी चाहिए।

कंपोजिट वाले व्यवसायी पर आरसीएम न लगे

सीए अरुण कुमार ने बताया कि कंपोजिट स्कीम के व्यापारी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर कोई निर्बंधित व्यवसायी अनिर्बंधित व्यवसायी से सामान खरीदता है और उसका कुल मूल्य पाँच हजार से अधिक है तो उस व्यवसायी को खुद जीएसटी देना होगा। इसपर इनपुट भी मिलेगा। लेकिन कंपोजिट वाले को इनपुट नहीं मिलना है, ऐसे में उसके लिए यह पेनाल्टी हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि कंपोजिट वाले व्यवसायी पर आरसीएम का नियम लागू न किया जाए। वहीं ट्रांस्पोर्टरों ने रोड परमिट एवं जीएसटी की नियमावली को और सरल करने की मांग की है ताकि व्यापारियों को विवरणी दाखिल करने में कोई परेशानी नहीं हो। हिन्दुस्तान के जीएसटी संवाद में बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि छोटे एवं स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को जीएसटी में विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही हर महीने रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ायी जाए। इससे व्यापारियों की काफी परेशानी दूर हो जाएगी। व्यापारियों को समय भी मिलेगा। साथ ही समय मिलने पर खुद रिटर्न भी फाइल करना शुरू कर देंगे।

परिचर्चा में आये माँगें एवं सुझाव

मांगें : • जीएसटी नियमावली को सरल किया जाए • विवरणी जमा करने की प्रक्रिया को सरल किया जाए • रिटर्न जमा करने में लेट फाइन नहीं होनी चाहिए • पूर्व से चली आ रही त्रैमासिक रिटर्न की व्यवस्था पुन : लागू हो • आरसीएम के प्रावधान को खत्म करना चाहिए • छोटे एवं स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को जीएसटी में विशेष सुविधा मिलनी चाहिए • कम्पोजिशन में कर की दर 0.25 से 0.50 प्रतिशत किया जाए • जीएसटीआर-2 के भरने का समय पाँच दिन के बदले 10 दिन कर दिया जाए • जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न की त्रुटियां अविलंब दूर किया जाए • कंपोजिशन स्कीम सीमा सालाना 5 करोड़ किया जाना चाहिए।

सुझाव : • छोटे व्यापारियों को सुविधा देने के लिए हेल्पलाइन खोले जाएं • रिटर्न भरने का समय त्रैमासिक होनी चाहिए • बिल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी को एक साथ जोड़कर देने का प्रावधान होना चाहिए • लेट फाइन की वसूली साल में एक बार होनी चाहिए • एचएसएन कोड के बदले टैक्स रेट की व्यवस्था होनी चाहिए • रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था ऑनलाइन के साथ -साथ ऑफलाइन भी होनी चाहिए • 3 बी में लेट फाइन का लाभ व्यापारियों को नहीं मिल रहा • देर से दाखिल की जाने वाली विवरणी पर विलंब शुल्क न्यूनतम रखा जाए • मूल वस्तु एवं उससे संबंधित वस्तु की टैक्स दर एक होनी चाहिए।

एक देश-एक कर

जीएसटीआर 2 के पोर्टल को पाँच दिन के लिए खोला जाना चाहिए। भागलपुर में व्यवसायियों के लिए जीएसटी की जटिलताओं को समझाने के लिए ट्रेनिंग शुरू की है। ऐसी पहल अन्य जिलों में भी हो तो बेहतर परिणाम मिलेंगे।

– रमन साह, इस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, भागलपुर

सोलर पावर जेनरेशन डिवाइस के बिलिंग करने पर हम 5% जीएसटी चार्ज करते हैं। लेकिन हमें इसका आधा से अधिक कंपोनेंट 28% व 18% कर के स्लैब में है। इसके रिफंड की व्यवस्था होनी चाहिए। पोर्टल में व्यवस्था भी नहीं है।

– प्रदीप चौरसिया, व्यवसायी

जीएसटी में छोटे व मंझोले व्यवसायियों को दो प्रकार का टैक्स चार्ज करना पड़ रहा है। सीजीएसटी व एसजीएसटी के अलावा बिल में कर की दर भरनी पड़ रही है। रिटर्न में भी संशोधन की व्यवस्था होनी चाहिए।

– अशोक सर्राफ, खगड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स

बल्ब आम लोगों के घर की जरूरत है। लेकिन इसपर जीएसटी की दर काफी अधिक है। इसे कम स्लैब में लाने की कोशिश की जानी चाहिए। जीपसटी काउंसिल इसपर कर की दर कम करें। इससे व्यवसाय बढ़ेगा।

– रणजीत जायसवाल, बल्ब मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन पटना

त्रैमासिक रिटर्न व्यवस्था को पुन: लागू किया जाना चाहिए। जीएसटीआर-3बी, जीएसटीसार-1, जीएसटीआर-2, जैसे माह के चार रिटर्न के अलावा ट्रान -1 भी दिए जाने की अनिवार्यता है। इससे परेशानी हो रही है।

– प्रकाश टिबडेवाल, अध्यक्ष, बेगूसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स

फॉर्म ट्रान 2 को मासिक न देकर छह माह पर देने की व्यवस्था होनी चाहिए। किस प्रोडक्ट को किस तरह के वर्गीकरण में रखा गया है, उसकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अनुमंडल स्तर पर सुविधा केन्द्र खोले जाये।

– अभिषेक पनसारी, निर्मली चैम्बर ऑफ कॉमर्स

समय पर टैक्स एवं रिटर्न जमा नहीं करने वालों को लेट फाइन नहीं लगना चाहिए। हालांकि सरकार अभी तक व्यापारियों से समय पर रिटर्न जमा नहीं करने वालों पर पेनॉल्टी नहीं कर रही है। लेट फाइन की वसूली साल में एक बार हो।

– अनिल अकेला, अध्यक्ष, नालंदा चैम्बर कॉमर्स

प्लास्टिक व्यवसाय में एचएसएन कोड एक ही है। इसपर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत है। लेकिन हमलोगों को इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट 18 प्रतिशत ही मिल रहा है। कई बार हमलोगों ने आवाज उठाई है। सुधार की जरूरत है।

– मनीष सर्राफ, प्लास्टिक व्यवसायी

इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में कई सामान ऐसे हैं जो लोगों की घरेलू जरूरतों के हैं। लेकिन इसपर सरकार ने कर की दर अधिक लगा दी है। इसकी समीक्षा करके जीएसटी की कर दर घटाए जाने की जरूरत है।

– मनोज बेंगानी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्ययवसायी

जीएसटी में मार्बल व ग्रेनाइट को 28% कर स्लैब में रखा गया है। बाकी 18 की श्रेणी में हैं। इससे व्यवसाय में वैमनस्य हो रहा है। मार्बल टाइल्स का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। सभी पर कर की एक दर कर दी जाए।

– विनोद पाठक, अध्यक्ष, बिहार मार्बल एसोसिएशन

रेडिमेड गारमेंट पर दो प्रकार का जीएसटी रखा गया है। व्यापारियों के सामने दिक्कत है कि पाँच व 12 प्रतिशत का स्लैब एक ही बिल में अलग-अलग भरना पड़ता है। इसे एक ही स्लैब कर दिया जाए तो हमें सहूलियत होगी।

– के. के. अग्रवाल, न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति

जीएसटी कर प्रणाली पारदर्शी हैं। इसमें पहले की तुलना में रिटर्न भरने में आसानी है। पर जीएसटी लागू होने के बाद जिन व्यापारियों ने जुलाई का रिटर्न नहीं भरा है। उसे कब तक भरना है, स्पष्ट नहीं है। मसाला पर टैक्स कम होना चाहिए। **– राकेश कुमार,** एमडीएच सुपर स्टॉकिस्ट

जीएसटी प्रणाली के लागू होने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। लेकिन अब भी छोटे व्यापारियों को इनवॉयस जेनरेट करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार ऐसे एप्लीकेशन बनाए जिसमें केवल इनवॉयस जेनरेट हो।

– रंजीत कुमार, डीप फ्रीजर के व्यवसायी

जीएसटी वाकई में अच्छी पहल है। हमलोगों ने सूबे के व्यवसायियों के लिए बीआईए में सुविधा केन्द्र बनाया है। यहाँ की टीम जीएसटी से संबंधित समस्या का समाधान सुझाएगी। जिनको जरूरत है, वे संपर्क कर सकते हैं।

– के. पी. एस केसरी, अध्यक्ष बीआईए

छाटे व बड़े व्यापारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग की अलग-अलग सीमा हो तो आसानी होगी। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि किसी तकनीकी गलती के कारण किसी व्यापारी को परेशान न करे।

– परसन कुमार सिंह, प्रेसिडेंट, बीसीडीए

रेस्टोरेंट व्यवसायी में जीएसटी की दर को कम किए जाने की जरूरत है। अभी जीएसटी की दर को लेकर काफी कंफ्यूजन है। रेल में जो खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उसपर जीएसटी की कर दर आम रेस्टोरेंट से अधिक है। **– मनीष चंद्रा,** रेल रेस्त्रां

रिवर्स चार्ज मैकेनिजम में अगर कोई निबंधित व्यवसायी अनिबंधित व्यवसायी से सामान खरीदता है और उसका कुल मूल्य पाँच हजार से अधिक है तो उस व्यवसायी को खुद जीएसटी देना होगी। इसपर इनपुट भी मिलेगा।

– अरुण कुमार, सीए

प्राइवेट सिक्योरिटी एसेंसी से जुड़े प्राइवेट गार्ड को करीबन साढ़े छह हजार रुपए से लेकर 9000 रुपए वेतन मिलता है। लेकिन जीएसटी में पहले की तुलना में टैक्स बढ़ जाने पर एजेंसियों पर बोझ बढ़ गया है। इसमें सुधार होना चाहिए।

– डी. पी. सिंह, कैप्सी

अगर कोई व्यापारी जीएसटीआर- 1 को दाखिल करने में विलंब करता है तो पुन: 10-12 दिन बाद खुलने के दिन से पेनॉल्टी वसूल करनी चाहिए। किसी भी व्यापारी को कैश लेजर सीजीएसटी, आईजीएसटी में जमा करने की छूट होनी चाहिए। इससे बिहार के व्यापारियों को और जीएसटी रिटर्न फाइल करने में सुविधा होगी। **– पी. के. मिश्रा,** महासचिव, बिहार कॉमर्शियल टैक्स बार एसो०

जीएसटीआर-2 के भरने का समय पाँच दिन के बदले 10 दिन कर दिया जाए। जीएसटीआर-2 में एचएसएन वाइस खरीद भरने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। रिटर्न भरने का समय त्रैमासिक होनी चाहिए। इससे व्यापारी जीएसटी की पूरी प्रक्रिया का पालन कर सकेंगे और उन्हें रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे उन्हें सहूलियत होगी।

– अशोक भिवानीवाला, महासचिव

इस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भागलपुर

कम्पोजिशन में कर की दर कम हो

पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि सरकार ने सर्राफा व्यापारियों की कई समस्याओं का समाधान कर दिया है। लेकिन अभी भी कई समस्याएँ हैं जिसके कारण व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि रिवर्स चार्ज मेकनिजम (आरसीएम) को पूर्णरूप से खत्म कर देना चाहिए। इससे हर ट्रेड के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। जहाँ तक टैक्स की बात है अभी भी ज्वेलरी पर दो तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। श्री कुमार ने बताया कि मेरी जानकारी के अनुसार ज्वेलरी पर ई-वे बिल का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अभी भी ईवे बिल की मांग की जा रही है।

त्रैमासिक रिटर्न की व्यवस्था हो

पटना थोक वस्त्र व्यवसायी संघ के सचिव पुरुषोत्तम कुमार चौधरी ने सरकार से मांग की कि 1.5 करोड़ रुपये के स्थान पर 5 करोड़ तक के व्यवसाय पर जीएसटी रिर्टन तीन महीने एक बार भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और सरल किया जाना चाहिए, ताकि व्यापारी खुद रिर्टन दाखिल कर सकें। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कारण यह है कि कई व्यापारी ऐसे हैं जो ऐसे सुदूर गाँव में कारोबार कर रहे हैं जहाँ इंटरनेट की व्यवस्था काफी कम है। उन्होंने कहा कि आरसीएम के प्रावधान को खत्म करना चाहिए।

फायदे तो हैं लेकिन अभी सुधार की काफी जरूरत

• विभिन्न वर्गों में बांटकर नियमों के प्रावधान बनाए जाएं • सेक्शन 37 में संशोधन होना चाहिए: हरि प्रकाश सुल्तानिया

हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित जीएसटी संवाद में कई व्यापारिक संगठनों ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की मांगों का ज्ञापन सौंपा। इनमें मुख्य रूप से जीएसटी रिटर्न की समय सीमा बढ़ाने की बात कही गई है।

इसके अलावा आरसीएम को पूरी तरह से खत्म करने की भी मांग की गई। संवाद में इस बात की भी मांग की गई कि जीएसटी के अन्तर्गत सभी व्यापारियों को एक वर्ग में नहीं रखकर विभिन्न वर्गों में बांटकर नियमों के प्रावधान बनाए जाएँ। ज्ञापन में बेगूसराय चैम्बर के सदस्यों ने मांग की कि निबंधन की छूट सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख सालाना सकल आवर्त किया जाना चाहिए।

तकनीकी पहलुओं को समझाया

जीएसटी संवाद में वाणिज्य कर विभाग कर विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी की तकनीकी जानकारियों से कारोबारियों को अवगत कराया। वाणिज्य कर विभाग के पटना पश्चिम प्रमंडल के संयुक्त आयुक्त शंकर मिश्रा, पटना पूर्वी प्रमंडल के संयुक्त आयुक्त संतोष कुमार, वाणिज्य कर विभाग के पटना पश्चिमी अंचल के सहायक वाणिज्य कर आयुक्त पंकज कुमार प्रसाद, वाणिज्य कर अधिकारी मुकेश कुमार के अलावा केन्द्रीय जीएसटी के बीबी कुमार संवाद में शामिल हुए। जीएसटी के संबंध में पूछे गए सवालों पर जवाब दिए।

राजधानी समेत राज्य के कारोबारियों ने की शिरकत

• व्यवसायियों के अमूल्य सूझाव भी संवाद में उभर कर सामने आए • बिहार चैम्बर से जुड़े व्यापारियों ने जीएसटी पर खुलकर विचार रखे

आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान पटना की ओर से आयोजित जीएसटी संवाद में राजधानी समेत राज्य भर के कारोबारियों ने शिरकत की।

संवाद में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अलावा बीआईए के पूर्व प्रेसिडेंट रामलाल खेतान, आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष राजेश खेतान, राणा ट्रेडर्स के रंजीत सिंह, बिल्डर्स एसोसिएशन के भवेश कुमार, क्रेडाई के नरेन्द्र कुमार, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के प्रेसिडेंट विनोद कुमार व ब्रजकिशोर शर्मा, अर्थिंग सॉल्यूशन के के. के. वर्मा, बीसीडीए के संतोष कुमार व ए. एन. वर्मा, मसाला कारोबारी राकेश कुमार, बिहार चैम्बर के नवीन मोटानी, मुकेश कुमार, हनुमान सहाय गोयल, मनीष बनेटिया समेत सैकड़ों कारोबारी थे।

टैक्स जोड़कर ही अपना सामान बेचें व्यापारी: सुशील मोदी

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आने के पहले कई तरह के कर छिपे हुए रहते थे। लोगों को पता नहीं चलता था। जीएसटी में सामने आने के कारण लोगों को अधिक कर देने का एहसास हो रहा है। अच्छा होगा कि किसी सामान की कीमत में ही जीएसटी को मिलकर बेचा जाए। करों के साथ अधिकतम मूल्य (एमआरपी) में सामान बेचे जाने से यह भ्रम दूर हो सकता है।

जीएसटी पर उत्पन्न तमाम शंका-आशंकाओं के समाधान के उद्देश्य से दिनांक 2.11.2017 को अखबार दैनिक हिन्दुस्तान और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में परिचर्चा आयोजित की गई।

चैम्बर सभागार में आयोजित परिचर्चा में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से रू-ब-रू उप मुख्यंत्री ने कहा कि जीएसटी में कई सामान की कीमत घटी है। लेकिन उपभोगकर्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कई ने अपने उत्पाद के ही दाम बढ़ा दिए। वाणिज्यकर विभाग में मुनाफाखोरी विरोधी समिति गठित है। कोई चाहें तो अपना नाम छिपाते हुए सविस्तार उसकी जानकारी दे सकते हैं। सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। घटे हुए दाम का लाभ लोगों को मिलना ही चाहिए।

व्यापारियों की ओर से टैक्स जमा करने में हो रही परेशानी पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोशिश होगी कि मोबाइल एप्लीकेशंस से भी टैक्स जमा की सुविधा लोगों को दी जाए। अभी वाणिज्यिक अंचलों में सुविधा केन्द्र मौजूद हैं। अगर किसी अनुमंडल में केन्द्र की आवश्यकता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों की ओर से राज्य व केन्द्र सरकार के नाम पर लगने वाले सीजीएसटी व जीएसटी को एक साथ विलय करने के सुझाव रही परेशानियों पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम रूप (सबमिट) से कर जमा करने के पहले ऑफलाइन में फॉर्म भरकर उसमें आवश्यक संशोधन कर लें। जाँच के बाद ही ऑनलाइन कर भुगतान करें।

फॉर्म की जटिलता पर कहा कि इसका सरलीकरण किया जा रहा है। कोशिश है कि अगर किसी महीना में कोई व्यापारी व्यापार नहीं कर सके तो वे जैसे ही शून्य लिखे, उनका फॉर्म खुद-ब-खुद पूरा भरा जाए। अभी सबों को एक ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।

बी आईए अध्यक्ष केपीएस केसरी की ओर से साल भर तक विलंब शुल्क नहीं लगने की मांग पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई से सितम्बर तक का विलंब शुल्क माफ किया गया है। आगे के महीनों में लगने वाले विलंब शुल्क को कम किया जाए। अभी दैनिक विलंब शुल्क 200 रुपए और अधिकतम पाँच हजार है। एक बार या छह माह पर ही ट्रान-टू का समायोजन हो जाए, यह विचारणीय है। जीएसटी के कई अधिनियमों में संशोधन हो सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 3.11.2017)

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा– 80 फीसदी वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी होगी

रोजमर्रा की 80% चीजों पर जीएसटी घटेगा

माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में वाणिज्य-कर आयुक्त श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य।

उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्य कर मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अभी जो 227 वस्तुएँ जीएसटी के 28 फीसदी कर स्लैब में हैं, उसमें से रोजमर्रा की 80 फीसदी चीजों पर कर घटाकर 18 फीसदी किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कहा कि शुक्रवार यानी 10 नवम्बर को गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होगी।

श्री मोदी ने कहा कि अभी वे कोई दावा नहीं कर सकते, मगर फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा के आधार पर कह सकते हैं कि 28 फीसदी स्लैब के दायरे में आने वाली 80 फीसदी चीजों पर कर घट जाएगा। केन्द्र जीएसटी की प्रक्रिया की जटिलता को सरल करने में लगा है। श्री मोदी बुधवार 8.11.2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में जीएसटी पर आयोजित विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हस्तनिर्मित उत्पादों पर भी कर घटाया जाएगा। अब तक 100 चीजों पर कर कम किया भी गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंटी और जीएसटी में अन्योनाश्रय संबंध है। जीएसटी को क्लीन इकोनॉमी के अगले कदम के रूप में देखा जा सकता है। एक पारदर्शी और स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी जरूरी है। ताजा आंकड़ों के हवाले से कहा कि जीडीपी में कैश का चलन 12 से घटकर 9 फीसदी हुआ है। नई पीढ़ी के लोग डिजिटल लेनदेन में खासी रुचि ले रहे हैं। इसके नतीजे भी अच्छे दिख रहे हैं।

जीएसटी पर बैठक में अपने सुझावों और प्रस्तावों में विभिन्न व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसकी कई विसंगतियों की ओर श्री मोदी का ध्यान

दिलाया। श्री मोदी ने मौके पर ही अधिकारियों से चर्चा की और इन पर विचार का आश्वासन दिया। इस दौरान केमिस्ट व ड्रगिस्ट एसोसिएशन, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर संघ ने ज्ञापन सौंपे। चर्चा के दौरान चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, वाणिज्य कर आयुक्त सुजाता चतुर्वेदी, अपर आयुक्त (GST) डॉ. प्रतिमा के साथ ही चैम्बर के कई पदाधिकारी और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।

संगठनों ने विसंगतियाँ बताई

बिहार ऑप्टिकल एसोसिएशन : चश्मे के लेंस पर 12 और फ्रेम व गॉगल्स पर 18% जबकि इसके कवर पर 28% टैक्स है। मोदी ने इसे जीएसटी काउंसिल में रखने का आश्वासन दिया

पाटलीपुत्रा सर्राफा संघ : सोने के जेवर पर 3% जीएसटी है, मगर जब किसी ग्राहक का जेवर मरम्मत के लिए लेते हैं तो उस पर 18% कर लग जाता है। जब किसी कंपनी से बतौर एजेंट जेवर लेते हैं तो उस पर टैक्स 28 % हो जाता है

महिला उधमी संघ : हस्तनिर्मित सुजनी, लहठी, सिक्की, टेराकोटा, एप्लिक उत्पादों पर भी जीएसटी के तहत अच्छा खासा कर लगाया गया है। महिला उद्यमी इनके उत्पादन में रुचि नहीं ले रही हैं। **(हिन्दुस्तान, 9.11.2017)**

जीएसटी आर-२ की फाइलिंग में 'कोड' की टेंशन

GST समस्या और समाधान : जीएसटी को लागू हुए करीब 150 दिन हो रहे हैं और दिनों-दिन समस्याएं सामने भी आ रही हैं। जीएसटीआर-2 के मामले में जहाँ एक और सरकार एक बार फिर सिस्टम न दे पाने के कारण तथा इसकी फाइलिंग की डेट 30 नवम्बर तक बढ़ा देने के बाद भी व्यापारी वर्ग और इसकी फाइलिंग से जुड़े लोगों के बीच संशय का वातावरण कायम है। नेटवर्क का स्लो होना, सर्वर प्रॉसेसिंग की समस्या और फॉर्म प्रॉसेस में होने वाली समस्याओं के कारण परेशानी बनी हुई है। विशेष तौर पर जो सिस्टम तैयार किया गया है उसमें मध्यम और छोटे व्यापारियों के बीच समाधान निकालने के लिए जद्दोजहद चल रही है। आप भी जानिए इसे...

एचएसएन कोड की समस्या : जीएसटीआर -2 में एचएसएन कोड की समस्या कॉमन बतायी जा रही है। इसे तर्कसंगत नहीं बनाया गया है। यह इतना विस्तृत है कि संबंधित कोड जो लागू हो, उसे समझने में दिक्कत हो रही है, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी-मानते हैं कि सिस्टम में ही खामी है और इसकी फाइलिंग की डेट बढ़ाने पर भी लास्ट डेट तक सबकी फाइलिंग बेहद मुश्किल नजर आ रही है। पूनम डिस्ट्रीब्यूटर के ओनर मनोज डालमिया ने कहा कि जीएसटीआर-2 फाइल करना असंभव लग रहा है। इसमें सरलीकरण की बड़ी जरूरत है।

ये है समस्याएँ : नेटवर्क की समस्या, स्पीड बहुत कम, सर्वर की प्रॉसेसिंग में समय बहुत अधिक लगना। बहुत अधिक डिटेल्स मांगी जा रही है। इससे मध्यम और छोटे व्यापारियों के लिए उलझने बढ़ गई है और वे परेशान हैं। एचएसएन कोड भी तर्कसंगत नहीं है। चार डिजिट के एक ही एचएसएन कोड पर एक से अधिक दरें लागू, ऐसी स्थिति में डिटेल्स की बहुत उपयोगिता नहीं।

"अब तक जीएसटीआर - 2 की फाइलिंग बहुत ही कम हो सकी है। यह कहना अभी कठिन है कि एक माह में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोर्टल पर समय बर्बाद हो रहा है।" – **नवीन मोटानी**, एलएन सेल्स प्रा. लि.

"एचएसएन कोड से ही सबसे अधिक परेशानी हो रही है। 3000 कोड और उसमें सब कोड, हर किसी के समझने लायक नहीं है। कुछ इनवॉयस शो नहीं हो पा रहा है। – **राजेश कुमार शिकारिया**, स्वास्तिका फार्मा

(साभार : दैनिक जागरण, 3.11.2017)

जल्द ही दरभंगा से उड़ान भर सकेंगे लोग यात्रियों के ठहरने की भी होगी व्यवस्था

केन्द्र सरकार ने दरभंगा हवाई अड्डे से वायु सेवा बहाल करने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत एयरपोर्ट पर हवाई सेवा की शुरुआत के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए की चार सदस्यीय टीम ने दरभंगा एयरफोर्स के कमांडेंट के साथ जायजा लेकर बैठक करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की जिसे बाद में सरकार को सौंपी जाएगी। इसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट के विकास लिए सौ करोड़ रुपये केन्द्र सरकार खर्च करेगी। यहाँ से उड़ान के तहत विमानन कंपनियों की ओर से दरभंगा से दिल्ली, मुम्बई व बैंगलुरु तक हवाई सेवा के प्रस्ताव के बीच दरभंगा स्थित हवाई अड्डे को सिविल इन्क्लेव के तौर पर तैयार करने की कवायद भी शुरू हो गई है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 25.11.2017)**

बिहार के चावल-मखाना उद्योग में निवेशकों की दिलचस्पी

वर्ल्ड फूड इंडिया के कार्यक्रम में उपस्थित (दाँयें से) चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, जीएसटी सब कमिटी के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी, उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, प्रधान सचिव उद्योग श्री एस. सिद्धार्थ एवं अन्य।

नई दिल्ली के इंडिया गेट पर तीन नवम्बर से शुरू तीन दिवसीस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मेले में 4.11.2017 को बिहार पैवेलियन में बिजनेस टू बिजनेस सत्र का आयोजन किया गया। इसमें दो दर्जन से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि पहुँचे। उन्होंने बिहार सरकार की खाद्य प्रसंस्करण नीति की जानकारी ली।

बिहार के उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह के नेतृत्व में इस आयोजन में शामिल होने गये प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एनके ठाकुर ने कहा कि खास तौर पर मखाना और चावल उद्योग में निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई दी। टाटा, आइटीसी सहित करीब दो दर्जन से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि बिजनेस टू बिजनेस सत्र में आए। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ सहित अन्य अधिकारियों से उन्होंने बिहार के फूड प्रोसेसिंग नीति, रियायत आदि की जानकारी ली। ठाकुर ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि इसमें से कुछ कंपनियां बिहार में निवेश भी करेंगी। मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह,बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के नवीन कुमार मोटानी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। उड़ीसा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री एल. एन. गुप्ता ने भी मखाना उद्योग की सत्यजीत सिंह से जानकारी ली। सत्यजीत सिंह बिहार के ऐसे मखाना व्यवसायी हैं जिन्होंने मखाना किसानों की आमदनी में चार गुना तक वृद्धि की है और बिहार के मखाना को देश के साथ विदेशों में भी पहुँचा रहे हैं। सत्यजीत सिंह ने बताया कि एलएन गुप्ता ने उड़ीसा के दो जिलों में बिहार के मखाना मॉडल को स्थापित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। ये उड़ीसा के ऐसे जिले हैं जहाँ मखाना की खेती होती है।

वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन तीन नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। यहाँ पाँच नवम्बर को 'बिहार प्रीमियर इन्वेस्टमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड' पर स्टेट सेशन रखा गया है। इस सत्र को बिहार के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह के अलावा वरीय अधिकारी संबोधित करेंगे। वे निवेशकों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार के फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश रियायत, सहूलियत के साथ फायदेमंद भी है। मकसद यह कि बिहार में अधिक से अधिक निवेश आ सके। **(साभार : दैनिक जागरण, 5.11.2017)**

मुजफ्फरपुर में अगले वर्ष से शुरू होगी हवाई सेवा

मुजफ्फरपुर में अगले वर्ष हवाई उड़ान सेवा शुरू होगी। फरवरी-मार्च 2018 में हवाई सेवा प्रदान करने वाली कंपनी केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय को आवेदन देगी। इसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय पताही हवाई अड्डे की कमियां दूर करने को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह जानकारी केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री अशोक गजप्रति राजू ने नई दिल्ली में मुलाकात करने गए बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को दी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 24.11.2017)**

आल इंडिया पासपोर्ट स्टाफ एसोसियेशन के 16वें वार्षिक सम्मेलन में चैम्बर अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (दाँयें से तीसरे) को शॉल एवं बुकलेट भेंट कर सम्मानित करते पासपोर्ट स्टाफ एसोसिएशन के अधिकारी।

आल इंडिया पासपोर्ट स्टाफ एसोसियेशन का 16वाँ वार्षिक सम्मेलन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में दिनांक 18 नवम्बर 2017 को आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव ने किया।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल पासपोर्ट की प्रक्रिया में काफी सुधार आया है, पहले काफी समय लगता था।

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष को शॉल एवं बुकलेट भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

प्लास्ट इंडिया में उद्यमी शामिल हों : देसाई

प्लास्ट इंडिया प्रोमोशन कार्यक्रम को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के सह अध्यक्ष अजय देसाई ने बिहार के उद्यमियों को गुजरात के गाँधीनगर में होने वाले 10वें अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस व कनवेंशन में शामिल होने का आहववान किया।

उन्होंने बताया कि 7 से 12 फरवरी, 2018 तक इसका आयोजन होगा। इसमें विश्वभर के प्लास्टिक उद्योग से जुड़े व्यवसायी शामिल होंगे। इसमें आधुनिकतम तकनीक के आधार पर प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल होगी।

श्री देसाई 17.11.2017 को स्थानीय होटल में प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रमोशन शो में इसकी जानकारी दी। इस मौके पर फाउंडेशन के सह अध्यक्ष (प्रमोशन), पूर्वी क्षेत्र आलोक टिबरेवाल ने कहा कि बिहार में प्लास्टिक की बढ़ती खपत और इस क्षेत्र में नये-नये उद्योगों की संभावनाओं को लेकर उद्यमी कॉन्फ्रेंस में नयी-नयी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। देश में दूसरी हरित क्रांति प्लास्टिक इंडस्ट्री के बिना संभव नहीं है। कार्यक्रम को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष केपीएस केशरी व पूर्व अध्यक्ष राम लाल खेतान, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इकाई के अध्यक्ष सत्यजीत सिंह ने भी संबोधित किया। फाउंडेशन के सदस्य रंजीत अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.11.2017)

चैम्बर में मेदान्ता के सहयोग से नि:शुल्क मल्टी स्पेशियलिटी चेकअप कैम्प आपोजित

चेकअप कैम्प में 150 की हुई जाँच

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में मेदान्ता हॉस्पिटल गुड़गाँव के सहयोग से नि: शुल्क मल्टी स्पेशियलिटी चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। इस चेकअप कैंप में ब्लड शूगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, इको, न्यूरोलॉजी व एक्सरे की जाँच हुई। उद्घाटन चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने किया। मेदांता हॉस्पिटल के न्यूरो साइंस के प्रमुख डॉ. ए. एन. झा, न्यूरोसर्जन डॉ. ऋषभ केडिया, न्यूरो फिजीशियन डॉ. आत्मा राम बंसल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. निशांक शेखर और जेनरल फिजीशियन डॉ. प्रभात झा ने चेकअप के बाद लोगों को आवश्यक परामर्श दिया। पी. के. अग्रवाल ने बताया कि चैम्बर व्यावसायिक हितों के साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में भी हिस्सा लेता रहा है। चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष पटवारी, पूर्व महामंत्री शशि मोहन, सच्चिदानंद, पवन भगत, शशि गोयल, आलोक पोद्दार एवं मुकेश जैन सक्रिय थे। (दैनिक जागरण, 29.11.2017)

मेदांता के न्यूरो साईंस प्रमुख डॉ. ए. एन. झा को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्रीमती नीलम अग्रवाल।

मेदांता के न्यूरो साईंस प्रमुख डॉ. ए. एन. झा को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते
चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। साथ में पूर्व महामंत्री श्री शशि मोहन।

मेदांता के डॉ. प्रभात झा को संयुक्त रूप से पुष्पगुच्छ भेंट करते चैम्बर उपाध्यक्ष
श्री मुकेश कुमार जैन एवं पूर्व महामंत्री श्री शशि मोहन। साथ में शशि गोपाल एवं अन्य।

हेल्थ चेकअप कैम्प में मरीजों का रजिस्ट्रेशन करते
चैम्बर के कार्यकारी सदस्य श्री पवन भगत।

हेल्थ चेकअप कैम्प में ब्लड प्रेशर की जाँच कराकर कैम्प का उद्घाटन करते
चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं अन्य।

एक मरीज का ईसीजी करती मेदांता की टेक्नीसियन।

मेदांता का मोबाइल वैन जिसमें मरीजों का एक्स-रे किया गया।

रोटरी पाटलिपुत्रा इको एचीवर्स क्विज में आर्मी पब्लिक स्कूल चैंपियन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्विज में नौ स्कूलों ने लिया हिस्सा

प्रतियोगिता का दीप प्रज्जवलित कर संयुक्त रूप से उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (दाँयें से तीसरे)। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री विवेक कुमार, पटना जू के डायरेक्टर श्री कमलजीत सिंह एवं श्री विपिन चचान तथा बाँयीं ओर रोटरी पाटलीपुत्रा के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल एवं सचिव श्री अनिल रिटोलिया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से मंगलवार दिनांक 28.112017 को आयोजित रोटरी पाटलिपुत्र इको एचीवर्स क्विज में आर्मी पब्लिक स्कूल पहले स्थान पर रहा जबकि नॅट्रिडेम एकेडमी को दूसरा और इंटरनेशनल स्कूल (सीबीएसई) को तीसरा स्थान हासिल हुआ। इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के अलावा, इंटरनेशनल स्कूल (सीबीएसई), नॅट्रिडेम एकेडमी, आरपीएस गर्ल्स स्कूल, आरपीएस रेसिडेंटल स्कूल, रोज बर्ड स्कूल, संत माइकल हाईस्कूल, उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल और संत कैरेंस स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। इसमें पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे स्कूलों के विजेताओं की ट्रॉफी, प्रमाणपत्र व स्काई बैग देकर पुरस्कृत किया गया।

आयोजकों ने बताया कि यह क्विज देश के 40 शहरों में आयोजित हो रहा है। हर शहर के विजेताओं को फाइनल मीटिंग के लिए मुम्बई में भी देश स्तर पर इसी तरह की इको एचीवर्स क्विज का आयोजन होगा, जिसके विजेताओं को नकद व अन्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, पटना जू डायरेक्टर कमलजीत सिंह, फादर राबर्ट, रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गर्वनर विवेक कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश जैन, रोटरी पाटलिपुत्र के सुशील पोद्दार, विपिन चचान, अशोक अग्रवाल, संदीप सर्राफ आदि उपस्थित थे। **(साभार : दैनिक भाष्कर, 29.11.2017)**

राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति में चैम्बर का भी हो प्रतिनिधि

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरकार द्वारा बैंकों को दिये गये अपने कार्य कलाप में सुधार लाने के निर्देश का स्वागत किया है। साथ ही चैम्बर ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि को भी शामिल करने की मांग की है। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने इस बात पर चिंता जताई कि सभी तरह के वैध कागजात के बावजूद बैंक कुछ न कुछ खामी निकाल कर उद्यमियों एवं व्यावसायियों के ऋण के आवेदन को रद्द कर देते हैं। चैंबर ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 62वीं समीक्षा बैठक में राज्य सरकार द्वारा ऋण नहीं देने वाले बैंकों के साथ सरकार के लेनदेन पर रोक लगाने के निर्देश को सही ठहराया। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बैंकों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। राज्य के नॉन परफॉर्मिंग या अंडर परफॉर्मिंग बैंकों की श्रेणी में अधिकतर प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय या छोटे बैंक शामिल हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों से केवल बड़ी -बड़ी राशियां जमा के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। **(राष्ट्रीय सहारा, 7.11.2017)**

जीएसटी में 170 वस्तुओं की दर घटने से लोगों को राहत : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 10 नवम्बर 2017 को गुवाहाटी में हुई जीएसटी काउंसिल की 23 वीं बैठक में 170 से अधिक वस्तुओं की करों में कटौती के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि गुवाहाटी में संपन्न जीएसटी काउंसिल की बैठक में करीब 227 वस्तुओं के वर्तमान कर की दरों में कमी के लिए प्रस्ताव दिया गया था जिसमें 170 से अधिक वस्तुओं के कर दरों में कमी करने से जहाँ एक और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी वहीं दूसरी ओर उस वस्तु का अधिकाधिक खपत होने से व्यापार भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ताओं के व्यापक हित में फलाई ऐस ब्रिक, फ्लाई ऐस, बिहार की प्रसिद्ध मिठाई खाजा, अनरसा और चिक्की पर कर की दर 18 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना तथा पास्ता, कॉटन और जूट बैग पर 12 प्रतिशत कर किया जाना स्वागत योग्य निर्णय है। उन्होंने बताया कि गुवाहाटी बैठक से पूर्व उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के विभिन्न ट्रेड के संगठनों के साथ जीएसटी से संबंधित विषयों पर तीन बैठकें की थी। बैठक में व्यवसायियों ने वस्तुओं पर कर की दरों को कम करने के साथ रिटर्न प्रक्रिया के सरलीकरण, पोर्टल के कठिनाईयों का समाधान, करदाताओं के लिए त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की माँग की थी। **(राष्ट्रीय सहारा, 11.11.17)**

मुजफ्फरपुर अब बनेगा चमड़ा उद्योग का हब

उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर लेदर वर्क्स का हब बनेगा। राज्य सरकार ने लेदर फिनिश कॉरपोरेशन की जमीन को खरीद लिया है। भुगतान की गयी राशि से कॉरपोरेशन के पुराने कर्मियों का बकाया भुगतान होगा। वहीं, 10 एकड़ की जमीन का उपयोग राज्य में चमड़ा आधारित उद्योगों के विकास के लिए किया जाएगा।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के अनुसार क्लस्टर विकास योजना के तहत इसे लेदर पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ चमड़ा आधारित उद्योगों से जुड़े उद्यमियों एवं व्यवसायियों को स्थानीय व अन्य प्रदेशों में मांग के अनुरूप लेदर बैग व अन्य वस्तुओं के उत्पादन की सुविधा उपलब्ध होगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.11.2017)**

राज्य में रिकॉर्ड 185 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन

राज्य में 2016-17 में रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। कुल खाद्यान्न की उत्पादकता 27.77 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो अबतक का रिकॉर्ड उत्पादन है। मक्का का उत्पादन 38.46 लाख टन हुआ। मक्के की उत्पादकता रिकॉर्ड 53.35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। योजना एवं विकास की अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय का यह आंकड़ा है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि इसके पहले वर्ष 2012-13 में सबसे अधिक 178.29 लाख टन खाद्यान्न हुआ था। वर्ष 2012-13 में मक्का का उत्पादन 27.56 लाख टन और उत्पादकता 39. 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जबकि वर्ष 2016-17 में उत्पादन और उत्पादकता दोनों अधिक हैं। तीसरे कृषि रोड मैप में हर भारतीय की थाली में कम से कम एक व्यंजन निश्चित रूप से पहुँचाने का लक्ष्य है। **(दैनिक भास्कर, 18.11.2017)**

नए वित्त आयोग के कामकाज का दायरा बड़ा होगा

केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद योजना आयोग की समाप्ति और नीति आयोग के गठन के मद्देनजर एन. के. सिंह की अध्यक्षता में गठित 15वें वित्त आयोग के कामकाज में भारी तब्दीली रहेगी। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना खत्म कर 15 साल की दीर्घकालिक योजना लागू करने की वजह से 14 वें वित्त आयोग की समाप्ति के बाद नए आयोग का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। 14वें वित्तीय आयोग की सिफारिशें वर्ष 2020 तक लागू रहेंगी। इसके बाद 15 वें वित्तीय आयोग की रिपोर्ट पर अमल होगा। नए वित्त आयोग का कामकाज पहले की तुलना में काफी भिन्न होगा, क्योंकि उसे दीर्घकालिक योजना के अनुरूप काम करना होगा। आयोग की सिफारिशें पहले जैसी रहेंगी या नहीं, फिलहाल यह भी कहना मुश्किल है। नीति आयोग के सूत्रों के अनुसार पिछले वित्त आयोगों की तुलना में इस वित्त आयोग का कार्य बिल्कुल अलग है। पहले योजना आयोग था, जिसके द्वारा राज्यों को वित्त आवंटन किया जाता था। लेकिन वह कार्य अब 15वें वित्त आयोग के जिम्मे हो सकता है। दूसरे, जीएसटी लागू होने के बाद केन्द्र एवं राज्यों के करों के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव के चलते केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन को बेहतर बनाने की चुनौती भी आयोग के समझ होगी। दूसरे, जीएसटी लागू होने के बाद करों की वसूली में यदि आरंभिक कमी आती है तो यह भी एक चुनौती होगी। वैसे भी जीएसटी के तहत राज्यों को क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी केन्द्र की है। वित्त आयोग का गठन हो गया है। उम्मीद है कि जल्द सरकार इसके कामकाज को लेकर टर्म एंड रेफरेंस जारी करेगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 28.11.2017)**

बिहार-नेपाल के बीच अगले साल से चलेगी ट्रेन

अब इंतजार खत्म होने वाला है। बिहार और नेपाल के बीच ट्रांस्पोर्टेशन को बढ़ावा दिये जाने का कार्य शुरू दो गया है। इस दिशा में नई पहल से भारत और नेपाल का रिश्ता और मजबूत होगा। अब अगले साल से बिहार व नेपाल के बीच ट्रेन सेवा भी शुरू होने जा रही है। बिहार से नेपाल के लिए पहली ट्रेन अक्टूबर 2018 में जाएगी। **(विस्तृत : आज, 20.11.2017)**

TRADE BODIES SAY NOTEBANDI MADE PEOPLE TAX COMPLIANT

The state's industry and trade circles feel that though industrial and trade activities have not fully recovered from the demonetisation hit, the things, by and large, have started improving over the last 12 months, as people have begun to show "positive signs" in human behaviour, because they have become tax compliant and started accepting cashless mode of transactions.

Sounding a bit cautious, Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI) President P. K. Agrawal said it would take time to make proper evaluation of benefits accruing from demonetisation, because it could be assessed only over a long term period. "The puzzle is how many years make long term period," he said.

`As immediate short term benefit, it has become apparent that the black money that had been lying hoarded and stored somewhere as unproductive money has gone back to the banks. But now they could be put to productive use. Banks with increased deposits should lower the interest rates on loans," Agrawal said.

He hoped that with change in behaviour, outlook and habits of people over long term period, even the existing process of generation of black money-like bribery, cuts, boarding of cash, investment in real estate and gold - would be overcome.

(Source : The Time of Inida, 8.11.2017)

450 वर्गमीटर में फैला होगा पटना एयरपोर्ट का नया कार्गो कांप्लेक्स, होगी दोगुनी क्षमता

पटना एयरपोर्ट पर वर्तमान कार्गो कांप्लेक्स की जगह दोगुनी क्षमता का नया कार्गो कांप्लेक्स बनेगा। नये टर्मिनल भवन के साथ ही इसका भी निर्माण होगा। इसके बन जाने के बाद एयरलाइन कंपनियों को सामान को स्टोर करने में उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो जगह की कमी के कारण पिछले कुछ समय से आ रही है। वर्तमान में दो सौ वर्गमीटर से भी कम जगह में छह एयरलाइन कंपनियों के स्टोर होने के कारण वहाँ उपलब्ध जगह ढुलाई वाले माल को रखने के लिए कम पड़ती है। इससे लोडिंग अनलोडिंग में परेशानी होती है।

250 वर्गमीटर में फैला है एयरपोर्ट का वर्तमान कार्गो कांप्लेक्स : इसमें एक सेंट्रल कार्गो कांप्लेक्स और पाँच एयर लाइन कंपनियों– इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, जेट एयरवेज और गो एयर के स्टोर स्थित हैं।

12 वर्षों में 12 गुनी बढ़ी माल की ढुलाई : पटना एयरपोर्ट पर पिछले दिनों माल ढुलाई में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 12 वर्षों में यहाँ से 12 गुना माल की ढुलाई बढ़ी है। अक्टूबर महीने में यहाँ से 80 टन माल भेजा गया। औसतन लगभग तीन टन फ्रेट हर दिन यहाँ से विमानों से जाता है। इतने अधिक माल की ढुलाई के लिए जितना जगह चाहिए, उतना जगह यहाँ नहीं है।

लगी है केवल एक एक्स-रे मशीन : सेंट्रल कार्गो कांप्लेक्स में केवल

एक एक्सरे मशीन लगी है। जिस पर सिक्यूरिटी नॉर्म के हिसाब से लाई जानेवाली वस्तुओं की चेकिंग की जाती है जबकि फ्रेट की बहुलता को देखते हुए यहाँ कम से कम दो एक्स-रे मशीन की जरूरत है।

एसटीएफ लैंड में स्थित होगा नया कार्गो कांप्लेक्स : नया कार्गो कांप्लेक्स 450 वर्ग मीटर में फैला होगा। इससे वहाँ न केवल दो एक्सरे मशीन लगाने के लिए जगह उपलब्ध होगी बल्कि एयरलाइन कंपनियों का स्टोर भी वर्तमान से दोगुने जगह में फैला होगा। वर्तमान कार्गो कांप्लेक्स टर्मिनल भवन से सटा हुआ है जबकि नया कार्गो कांप्लेक्स नये टर्मिनल भवन से थोड़ी दूरी पर वर्तमान एसटीएफ लैंड में स्थित होगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 22.11.2017)**

पटना को स्मार्ट सिटी बनाएगी स्पेन की एजेंसी, सलाह देने के लिए 43 एक्सपर्ट

पटना को स्पेन की एजेंसी स्मार्ट सिटी बनाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेन की एजेंसी पर मुहर लग गई है। स्पेन, जापान, अमेरिका और भारत की पाँच एजेंसियों में से स्पेन की एप्टिसा सर्विसियस डे इनजीनियरिया एसएल को चुना गया है। स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में एप्टिसा को काम करने की स्वीकृति दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने बताया कि चयनित पीएमसी (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी) अपने 43 एक्सपर्ट के साथ काम शुरू कर देगी। सबसे पहले शहर की 15 सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण होगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 22.11.2017)

ई-भुगतान में छूट का इनाम!

जीएसटी परिषद की अगली बैठक में 2 फीसदी छूट के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा

अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेमेंट ऐप के जरिये भुगतान करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन माध्यमों का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है। जनवरी में होने वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।

अगर इस प्रस्ताव की हरी झंडी मिलती है तो इससे नकदीरहित अर्थव्यवस्था के सरकार के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह छूट केवल बिजनेस टु कंज्यूमर लेनदेन पर ही उपलब्ध होगी वो भी ऐसी उत्पादों या सेवाओं के लिए जिन पर जीएसटी की दर 3 फीसटी या उससे अधिक है। दो फीसदी छूट में एक फीसदी केन्द्रीय जीएसटी पर और एक फीसदी राज्य जीएसटी पर होगी।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 22.11.2017)

आर. ब्लॉक से दीदारगंज तक बनेगा 20 किमी लंबा फोरलेन एलिवेटेड रोड

• पथ निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री का आदेश • पटना को यातायात समस्या से छुटकारे के लिए पथ निर्माण विभाग की तैयारी

राजधानी में यातायात की समस्या से उबरने के लिए आर. ब्लॉक से दीदारगंज तक पुराने बाइपास पर 20 किलोमीटर लंबा फोरलेन एलिवेटेड सड़क बनेगी। इसका एक हिस्सा पुनपुन से मीठापुर की तरफ आने वाली सड़क से भी जुड़ा रहेगा। भविष्य के यातायात दबाव को ध्यान में रख कर पथ निर्माण विभाग ने इस योजना पर काम शुरू किया है।

सभी स्टेट हाईवे रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के दायरे में, अब टूटते ही होगी मरम्मत : राज्य के सभी स्टेट हाईवे बेहतर रखरखाव के लिए रोड मेंटेनेंस पॉलिसी (ओपीआरएमसी) में शामिल होंगे। इससे टूटते ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान यह आदेश दिया। सीएम ने कहा कि इससे सड़कों का बेहतर रखरखाव होगा और जनता को आवागमन में सुविधा होगी। पथ निर्माण विभाग के नियंत्रण वाली राज्य की कुल 15150 किलोमीटर सड़क में से रोड मेंटेनेंस पॉलिसी (ओपीआरएमसी) के तहत 8060 किलोमीटर लम्बी 934 सड़कों का रखरखाव किया जा रहा है। ये राज्य की कुल सड़कों का 60 फीसदी हिस्सा है।

भारतमाला से बिहार में बनेगी 1432 किलोमीटर लंबी सड़क : पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत बिहार में 1432 किलोमीटर सड़क बनेगी। इसमें मोहनिया-आरा, रजौली-बख्तियारपुर, औरंगाबाद-दरभंगा, सासाराम-पटना, पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर, सोनवर्षा-रक्सौल, मुजफ्फरपुर-बेगूसराय-पटना साहिब, मुजफ्फरपुर-साहेबगंज, छपरा- पटना, चकिया-बैरगिनिया और अररिया-सुपौल सड़क शामिल है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 23.11.2017)

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

जी. एस. टी. में सरकार ने दी आम उपभोक्तओं को राहत

जी. एस. टी. के अधीन आम उपभोक्ताओं के हित में सरकार द्वारा आम उपभोग की कुल 211 वस्तुओं पर कर की पुरानी दरों में कटौती की गई है, जिसमें से कुछ प्रमुख वस्तुऐं निम्नवत् है:-

1. 28% से 18% : चॉकलेट, डिटरजेंट, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री, पाउडर, इत्र, स्कीन क्रीम, शैम्पू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, शेविंग क्रीम, ब्लेड, रेजर, फर्नीचर, गद्दा, बेडिंग, ट्रंक, सूटकेस, हैंड बैग, वैनिटी केस, ट्रैवलिंग बैग, प्लाई वुड, सभी प्रकार के ग्लास, ईलेक्ट्रिकल फिटिंग, पंखा, पम्प, बैटरी, सेनेटरी वेयर, पाईप एवं फिटिंग, दखाजा, खिड़की, स्टोव, कूकर एवं इसी तरह के नन इलेक्ट्रीक घरेलू उपकरण, मार्बल, ग्रेनाईट, सेरामिक टाईल्स, जिम उपकरण, साईंटिफिक उपकरण, गोगल्स, माईक्रोस्कोप, दूरबीन, कलाई घड़ी, घड़ी अग्निशमन यंत्र, वाद् यंत्र आदि।

2. 18% से 12% : कन्डेन्स मिल्क, पास्ता, जूट एवं कॉटन से निर्मित हैण्ड बैग एवं शॉपिंग बैग, प्रिंटिंग इंक, डायबिटिज फूड, रिफाइन सुगर एवं सुगर क्यूब, चश्मा का फ्रेम, बाँस एवं केन से निर्मित फर्नीचर।

3. 18% से 5% : AC रेस्टोरेन्ट में परोसा गया भोजन, चटनी पाउडर, फ्लाई एश, पफ्ड राईस, चिक्की, पिनट चिक्की, खाजा, रेवडी, तिलरेवड़ी।

4. 12% से 5% : Non-Ac रेस्टोरेन्ट में परैसा गया भोजन, ईडली-डोसा का बैटर, मछली पकड़ने का जाल एवं हुक।

5. 5% से 0% : फ्रोजेन ड्राई फिश, खाण्डसारी, स्वीट पोटैटो. अनब्रांडेड सूखा मखाना।

विस्तृत जानकारी हेतु अधिसूचना का अवलोकन किया जा सकता है, जो विभागीय वेबसाईट **www.biharcommerclaltax.gov.in** पर उपलब्ध है।

जी.एस.टी प्रणाली के प्रावधानानुसार घटाये गये कर का लाभ व्यवसायियों द्वारा आम उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किया जाना है, जिसकी वजह से मालों के बिक्री मूल्य में अपेक्षित है।

किसी व्यवसायी द्वारा जी. एस. टी के वर्णित प्रावधान के आलोक में कर की दर में कमी का लाभ ग्राहकों को हस्तांतरित नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य स्तरीय छानबीन समिति (Screening Committee) को माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम -129 के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

इस संबंध में यदि कोई सूचना या परिवाद देना हो, तो साक्ष्य सहित, लिखित रूप से निम्न पते पर भेजा जा सकता है:- राज्यस्तरीय छानबीन सभिति, वाणिज्य -कर विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना- 800001

उपर्युक्त आशय की सूचना ई-मेल Screeningcommitteebihar@gmall.com पर भी भेजी जा सकती है।

(साभारः दैनिक जागरण, 29.11.2017) **आयुक्त-सह-प्रधान सचिव**

STATE PUSH TO COMPILE GST RETURNS WOES

The commercial taxes department has started gathering inputs for sending suggestions to the Centre on simplification of goods and services tax (GST) returns.

Traders have been complaining of complications in the returns format. Of the 2.23 - lakh GST-registered traders in Bihar, only 46.4 per cent had filed returns in September. The figure was 75 per cent in July when GST came into force and it dipped to 49 per cent in August.

The Centre has appointed a committee to iron out GST problems.

"We have sought inputs from major bodies such as Bihar Chamber of Commerce and Industries and Bihar Industries Association," said a senior official of the commercial taxes department. "Also, the circles have been directed to collect inputs from charted accountants, lawyers and businessmen. Based on these inputs the department will prepare a detailed report containing suggestions about the changes that should be made in the GST returns to make them more user-friendly."

The official said the state will send its suggestions to the Centre within a week.

"In the present format traders are asked to submit some unnecessary information like transaction details of non-GST items," said Alok Poddar of the Bihar Chamber of Commerce and Industry. "These should be removed. Also, the return format is such that a layman cannot understand that what information has to be provided in what column."

Mashendra Kumar Mashi, chairman of the Patna wing of the Institute of Charted Accountants of India, said: "In the existing system, traders don't get any acknowledgement once they file returns. They have nothing to show as a proof about filing of return. Also one has to click both submit and file button for filing return and many individuals just click the submit button without understanding this technicality and thus their returns remain pending and they end up paying late fine."

Mashi also pointed out that traders cannot download a copy of the return they file.

The commercial taxes department official said all such points would be incorporated in the suggestions. **(Source : Telegraph, 21.11.17)**

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

सभी व्यवसायियों के लिए आवश्यक सूचना

विभिन्न श्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि माईग्रेशन/निबंधन के समय Authorised Signatory का ई-मेल एवं मोबाईल न. के कॉलम में किसी अन्य व्यक्ति यथा-अधिवक्ता, लेखापाल आदि का ई-मेल एवं मोबाईल न. दर्ज हो गया है। व्यवसायियों को अब यह सुविधा हो गयी है कि वे प्राईमरी Authorised Signatory के ई-मेल एवं मोबाईल नं. बदल सकते है। इस हेतु निम्न Step है:-

- सर्वप्रथम करदाता अपने संबंधित अंचल प्रभारी के कार्यालय में जाकर आवेदन दाखिल करेंगे।
- अंचल प्रभारी अपने स्तर से लॉग-इन करते हुए Authorised Signatory के ई-मेल एवं मोबाईल नं. को अपडेट करेंगे।
- इसके उपरान्त गये ई-मेल पर करदाता को नया User ID एवं Password बनाने के लिए Temporary ID भेजा जाएगा।
- इसके उपरान्त करदाता अपना नया User ID एवं Password सृजित करेंगे तथा इस नये User ID एवं GST Portal पर लॉग-इन कर सकते है।

(Source : The Times of India, 9.11.2017) **आयुक्त-सह-प्रधान सचिव**

विवरणी दाखिल करने की संशोधित तिथि घोषित, सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को मिलेगी सुविधा

छोटे व्यापारी त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करेंगे

सरकार ने छोटे व्यापारियों को गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में एक बड़ी राहत दे दी है। अब सालाना 1.5 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटीआर - 1 त्रैमासिक विवरणी दाखिल करना होगा। सालाना 1.5 करोड़ों रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को हर महीने जीएसटीआर -1 भरना होगा। हालांकि छोटे-बड़े सभी करदाताओं व्यापारियों को जीएसटीआर 3बी भरना जरूरी है। व्यापारी अपनी जीएराटीआर 3बी अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल कर सकते हैं। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग ने सभी व्यापारियों के लिए जीएसटीआर-1 को जमा करने की संशोधित तिथि भी जारी की है।

जीएसटीआर -1 सालाना 1.5 करोड़ रुपए

अवधि	संशोधित तिथि
जुलाई से सितम्बर 2017	31 दिसम्बर 2017 तक
अक्टूबर से दिसम्बर 2017	15 फरवरी 2018 तक
जनवरी से मार्च 2018	30 अप्रैल 2018 तक

जीएसटीआर - 1 सालाना 1.5 करोड़ से अधिक

जुलाई से अक्टूबर 2017	31दिसम्बर 2017 तक
नवम्बर 2017	10 जनवरी 2018
दिसम्बर 2017	10 फरवरी 2018 तक
जनवरी 2018	10 मार्च 2018 तक
फरवरी 2018	10 अप्रैल 2018 तक
मार्च 2018	10 मई 2018 तक

अन्य विवरणी

जीएसटी आईटीसी-4 जुलाई से सितम्बर 2017	31दिसम्बर 2017 तक
जीएसटीआर-4 जुलाई से सितम्बर 2017	24 दिसम्बर 2017 तक
जीएसटीआर - 5 जुलाई 2017	11 दिसम्बर 2017 तक
जीएसटीआर - 5ए जुलाई 2017	15 दिसम्बर 2017 तक
जीएसटीआर - 6 जुलाई 2017	31 दिसम्बर 2017 तक
ट्रान- 1	31 दिसम्बर 2017 तक

हेल्प डेस्क की सुविधा : व्यापारियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कर विभाग ने सभी अंचलों में सुविधा केन्द्र खोले हैं। साथ ही मुख्यालय स्तर पर भी हेल्प डेस्क बनायी गयी है। हेल्प डेस्क रोज सुबह 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक कार्यरत है। इस हेल्प डेस्क का टेलीफोन नम्बर 0612-2233512-16 एवं मोबाइल नम्बर 9472457846 एवं 9199273130 है। टोल फ्री नम्बर 1800-3456102 है। विस्तृत जानकारी के लिए या समस्या के निदान के लिए vattcs.help desk@gmail.com or gstoutreachbihar@gmil.com पर जानकारी ले सकते हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.11.2017)**

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

विवरणी नहीं दाखिल करने वाले व्यवसायी कृपया ध्यान दें।

1. जिन व्यवसायियों ने माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2017 का GSTR - 3 B दाखिल नहीं किया है। वे इसे शीघ्र दाखिल करें। इसका बिलंब शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
2. GSTR - 3B दाखिल किया जाना अत्यंत आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्यौरों का सार (summary details) भरा जाना है।
3. जिन व्यवसायियों ने माह जुलाई 2017 का GSTR - 1 अभी तक दाखिल नहीं किया है। वे off line tool के माध्यम से JSON फाईल तैयार कर Portal पर ऑपलोड करने के उपरांत Save रख सकते हैं। इसका दाखिला प्रारंभ होने के बाद इसे Submit एवं File किये जाने में सुविधा होगी।
4. GSTR - 2 वर्तमान में पोर्टल पर दाखिल किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 30.11.2017 है। इसे अविलंब दाखिल करें। इसमें सहायता के लिये नया offline tool पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से Excel में GSTR - 2/GSTR-2A फाईल डाउनलोड कर मिलान किया जाना अत्यंत आसान है।
5. याद रहे कि जिन विवरणियो के दाखिल करने की नियत तिथि समाप्त हो चुकी है, उन्हें अभी भी दाखिल किया जाना अंनिवार्य है।
6. कृपया सभी विवरणी समय पर दाखिल करें एवं अनावश्यक कठिनाइयों से बचें।
7. विभागीय हेल्पडेस्क प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक कार्यरत है, जिसका टेलीफोन नंबर 0612-2233512-16, मो. - 9472457846 एवं 9199273130 टॉल फ्री नंबर 18003456102 तथा ई-मेल vattcs.help desk@gmail.com है।
8. GSTN के Twitter Account@askGSTech पर भी तकनीकी समस्याओं का निदान उपलब्ध होता है। करदाता एवं अधिवक्ता इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

(साभार - दैनिक भास्कर, 5.11.2017) **आयुक्त-सह-प्रधान सचिव**

मुनाफाखोरों को चिन्हित करने के लिए गाँव-गाँव होगा सर्वे

जीएसटी घटने का लाभ लोगों को नहीं मिलने पर विभाग गंभीर

वाणिज्यकर विभाग मुनाफाखोरों को चिह्नित कर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके लिए गांवों में सर्वे कराकर यह देखा जाएगा कि जीएसटी में दाम कम किए जाने के बावजूद अधिक दर पर विभिन्न वस्तुओं की बिक्री कौन-कौन कर रहे हैं। हाल ही में गुवाहाटी में हुई जीएसटी काउंसिल की 23 वीं बैठक में 178 वस्तुओं के फिर दाम कम किए गए हैं। मुनाफाखोरी पर नजर रखने के लिए 'एंटी प्रोफिटेयरिंग कमेटी' भी बनाई गई है जिसमें राज्य एवं केन्द्र सरकार के अफसर शामिल हैं। अपर आयुक्त डॉ. प्रतिभा को कमेटी में नोडल अफसर बनाया गया है।

रिटर्न भरने की दर (% में)

महीना	बिहार	राष्ट्रीय औसत
जुलाई	82	86
अगस्त	68.49	77.3
सितम्बर	58.5	70
अक्टूबर	48	56

निगरानी : • अब तक 3 लाख व्यापारी जीएसटी में निबंधित • वाणिज्य-कर कर आयुक्त कहलाएंगे राज्यकर आयुक्त

अप्रैल से अक्टूबर तक राजस्व संग्रह : 2016: 8,115,59 करोड़, 2017 : 8,861,04 करोड़

अब तक कुल निबंधन 300,381 : राज्य कर के पुराने कर दाता - 1,79,582, नए कर दाता - 55,542, केन्द्रीय कर के पुराने कर दाता - 7,008, नए कर दाता - 58,249 **(विस्तृत - दैनिक जागरण, 24.11.2017)**

बियाडा को मिला भूमि अधिग्रहण, जमीन व मकान खरीदने का हक

दोनों सदनों में संशोधन विधेयक पास

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा)अब जरूरत के हिसाब से भूमि का अधिग्रहण, जमीन और मकान की खरीद कर सकता है। इतना ही नहीं प्राधिकार अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन और मकान किराए पर या लीज पर भी ले सकता है। जिन औद्योगिक प्लॉट पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है, उसे रद्द करने और अतिक्रमण हटाने के लिए बियाडा प्रबंध निदेशक को समाहर्ता की शक्ति दी गई है। इसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक 2017 दिनांक 29.11.2017 को विधान मंडल के दोनों सदनों में पास हो गया।

उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार औद्योगिक नीति, 2016 सर्वश्रेष्ठ नीति है। इसके लागू होने के एक साल के भीतर राज्य निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने 5000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 30.11.2017)

तीन वर्ष तक उद्योग नहीं तो जमीन वापस

उद्योग लगाने के लिए जमीन ले ली और तीन साल तक उसका इस्तेमाल नहीं किया तो उसका आवंटन रद्द हो जाएगा। यह जमीन सरकार द्वारा वापस लेकर उद्योग लगाने के लिए इच्छुक नए आवेदक को दे दी जाएगी। बियाडा की जमीन पर नजर रखने के लिए औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति गठित होगी। यह प्रावधान बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 में किया गया है। बुधबार 29.11.2017 को विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 30.11.2017)

हर जिले में एक बड़ा औद्योगिक क्लस्टर बनेगा

उद्योग विभाग ने सभी जिला उद्योग पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जिले में एक बड़ा औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण करें। स्थानीय स्तर पर क्लस्टर के चयन में प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए सभी जिला उद्योग पदाधिकारी सह महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं विभागीय अधिकारियों के तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ।

क्लस्टर विकास और उद्यमिता विकास विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन स्थित विभागीय सभागार में किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्लस्टर निर्माण के बाद उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी। जिला उद्योग पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर उद्यमों का क्लस्टर बनाने के लिए चयन करें। नालंदा में झुला क्लस्टर, खाजा क्लस्टर व लेदर क्लस्टर सहित विभिन्न जिलों में क्लस्टरों की शुरूआत की गयी है।

डॉ. सिद्धार्थ ने कुछ जिलों में एक भी क्लस्टर नहीं गठित किए जाने पर नाराजगी भी जतायी।

रेशम एवं हस्तकरघा निदेशालय के निदेशक साकेत कुमार ने कहा कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज सहित सात जिलों में मलवरी के विकास की योजना बनायी गयी है। क्लस्टर बनाकर सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक, डिजाइन इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 16.11.2017)

बैंक सिक्के लेने से मना करे तो आरबीआई को कर सकेंगे शिकायत

जल्द जारी होगी हेल्पलाइन नंबर, शिकायत मिलते ही आरबीआई बैंक मैनेजर से करेगा बात, आनाकानी करने पर होगी कार्रवाई

ग्राहकों से सिक्का लेने से इनकार करने वाले बैंकों के मैनेजर से आरबीआई अब सीधी बात करेगा। इतना ही नहीं सिक्का लेने से इनकार करने वाले बैंकों पर कार्रवाई भी होगी।

दरअसल छोटे सिक्कों को बैंकों में जमा कराने को लेकर हो रही परेशानी को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ग्राहकों के लिए जल्द ही एक नई सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत बैंक में मौजूद ग्राहक सीधे आरबीआई के रीजनल ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर इसकी शिकायत कर सकेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होगी। आरबीआई शिकायतकर्ता ग्राहक के मोबाइल से ही तत्काल उस बैंक के मैनेजर से बात करेगा। बैंक का मैनेजर अगर ग्राहक के मोबाइल से बात करने से इनकार करता है तो वैसे बैंक मैनेजरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

दैनिक भास्कर ने छोटे सिक्कों को बैंकों में जमा कराने को लेकर हो रही समस्या को प्रमुखता से उठाया था।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आरबीआई के रीजनल ऑफिस में जल्द ही हेल्पलाइन नंबर की सेवा शुरू की जाएगी। यह हेल्पलाइन नंबर सिर्फ सिक्कों की परेशानी से जूझ रहे बैंक के ग्राहकों के लिए होगी।

ग्राहक के मोबाइल पर आएगा फोन, मैनेजर को करनी होगी बात

• आरबीआई के रीजनल ऑफिस में हेल्पलाइन नंबर होगा। ग्राहक मोबाइल से हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकेंगे • हेल्पलाइन डेस्क पर मौजूद अफसर ग्राहक को मैनेजर से बात करवाने को कहेंगे • आरबीआई के आधिकारी बैंक मैनेजर से सिक्का नहीं जमा करने की वजह जानेंगे और नियमानुसार सिक्का लेने को कहेंगे • बैंक मैनेजर अगर ग्राहक के फोन से बात करने से इनकार करता है तो वैसी सूरत में आरबीआई ग्राहक का खाता नंबर, मोबाइल नंबर, संबंधित शाखा का पता लेगा और संबंधित बैंक के रीजनल ऑफिस को कार्रवाई के लिए ब्योरा भेजेगा।

ये हैं प्रावधान

आरबीआई के अधिकारियों के अनुसार कोई भी ग्राहक संबंधित बैंक की शाखा में एक बार में एक हजार रुपए तक के सिक्के जमा करा सकता है। एक दिन में वह एक से अधिक ट्रांजेक्शन भी कर सकता है। बैंकों को ऐसे ग्राहकों से सिक्के जमा लेने होंगे।

सिक्का डंप होने से व्यापारी ही नहीं आम आदमी भी हैं परेशान

सिक्कों को लेकर इन दिनों लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बैंक सिक्के लेने से इनकार कर रहे हैं। खासकर व्यापारी वर्ग और छोटे दुकानदार इस समस्या से परेशान हैं। बैंक स्टाफ की कमी और सिक्का गिनने में कठिनाई का हवाला देकर ग्राहकों को वापस कर दे रहे हैं। जो बैंक ले भी रहे वे एक दिन में एक हजार से अधिक के सिक्के नहीं ले रहे। **(साभार : दैनिक भास्कर, 24.11.2017)**

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम

क्र०	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा
1.	विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति से संबंधित आवेदनों का निष्पादन	क) प्राप्त आवेदनों को सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	21 कार्य दिवस
		ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस
2.	छात्रवृत्तियों का वितरण		जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रोग्राम ऑफिसर	निधि प्राप्ति के 30 कार्यदिवसों के अंदर
3.	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	21 कार्य दिवस
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या	21 कार्य दिवस
			(ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्य दिवस
		(iii) जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्य दिवस
4.	आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	21 कार्य दिवस
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या	21 कार्य दिवस
			(ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अंचलाधिकारी	21 कार्य दिवस
		(iii) जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्य दिवस
5.	आय प्रमाण-पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	21 कार्य दिवस
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या	21 कार्य दिवस
			(ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्य दिवस
		(iii) जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्य दिवस
6.	परिवहन विभाग से संबंधित मामलों का निष्पादन	1) लर्नर अनुज्ञप्ति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		2) विभिन्न प्रकार के चालक अनुज्ञप्तियों का निर्गमन/ नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्य दिवस
		3) चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति का निर्गमन/इन्डोर्समेन्ट	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		4) चालक अनुज्ञप्ति का स्मार्ट कार्ड में संपरिवर्तन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		5) अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्य दिवस
		6) वाहनों का अस्थायी निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		7) नये निजी वाहनों/परिवहन वाहनों का निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्य दिवस
		8) निबंधन प्रमाण-पत्र की द्वितीयक प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		9) निबंधन प्रमाण-पत्र का नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		10) वाहनों के निबंधन का रद्दीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	45 कार्य दिवस
		11) ट्रेड सर्टिफिकेट का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्य दिवस

क्र०	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा
		12) कर प्रतीक का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	7 कार्य दिवस
		13) वाहनों का प्रत्यर्पण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्य दिवस
		14) पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्ति का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्य दिवस
		15) परिवहन वाहनों का दुरूस्ती प्रमाण पत्र का निर्गमन/नवीकरण	मोटर यान निरीक्षक	15 कार्य दिवस
		16) प्रत्यर्पित/दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का जाँच प्रतिवेदन	मोटर यान निरीक्षक	15 कार्य दिवस
		17) दुरूस्ती प्रमाण-पत्र द्वितीय प्रति का निर्गमन	मोटर यान निरीक्षक	10 कार्य दिवस
		18) कर छूट/वापसी आवेदनों का अग्रसारण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्य दिवस
7.	जन वितरण प्रणाली	नये राशन कार्डों के आवेदन पर निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	60 कार्य दिवस
8.	आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन (पासपोर्ट, नौकरी इत्यादि) के आवेदनों का निस्तार।		डी. एस. पी. (मु०) या संबंधित जिला के आरक्षी अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत कोई डी. एस. पी.	आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में प्रप्ति से 28 कार्यदिवस
9.	शहरी क्षेत्र में होल्डिंग निर्धारण हेतु आवेदन पर निर्णय		नगर कार्यपालक पदाधिकारी	45 कार्य दिवस
10.	निबंधन कार्यालयों में उपबंधित सेवाएँ	प्रस्तुत दस्तावेजों का निबंधन / निष्पादन	जिला निबंधक/अवर निबंधक	दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के उसी दिन
		निर्बंधित दस्तावेजों का परिदान	जिला निबंधक/अवर निबंधक	5 कार्य दिवसों के अन्दर
		तलाश एवं प्रतिलिपि कार्य	जिला निबंधक/अवर निबंधक	7 कार्य दिवसों के अन्दर
		सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र	जिला निबंधक/अवर निबंधक	क) कम्प्यूटरीकृत अभिलेख से-3 कार्य दिवस
				ख) जिल्दबंद खंडों (3 वर्षों तक) में तलाश-7 कार्य दिवस
				ग) जिल्दबंद खंडों (3 वर्षों से अधिक) में तलाश- 14 कार्य दिवस
11.	विभागीय मुख्यालय के माध्यम से निबंधन संबंधित लोक सेवाएँ	सोसाइटी/फार्म अभिलेखों से संबंधित तलाश एवं प्रतिलिपि कार्य	प्रभारी पदाधिकारी	आवेदन प्राप्ति के 21 कार्य दिवसों के अन्दर
		सोसाईटी/फार्म का निबंधन	प्रभारी पदाधिकारी	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवसों के अन्दर
12.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद समेकित परिणाम एवं व्यक्तिगत अंक-पत्र का प्रावधान	क) डी.ई.ओ. कार्यालय से प्राप्त समेकित परिणाम एवं व्यक्तिगत अंक-पत्र का प्रावधान	संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डी. ई. ओ.)	5 कार्य दिवस
		ख) विद्यालयों द्वारा संबंधित लड़कों/लड़कियों को अंक-पत्र निर्गत करना।	संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक	5 कार्य दिवस
13.	अंक-पत्र/अस्थायी या मूल प्रमाण-पत्र माइग्रेसन प्रमाण-पत्र को सुधारने/ पुनर्गणना के लिए कार्रवाई		सहायक/उप सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	10 कार्य दिवस
14.	अंक-पत्र/अस्थायी या मूल प्रमाण-पत्र माइग्रेशन प्रमाण-पत्र को सुधारने / पुनर्गणना के लिए कार्रवाई		विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक	15 कार्यदिवस

क्र०	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा
15.	निबंधन एवं महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन		संबंधित प्राचार्य	7 कार्य दिवस
16.	विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों का अभिप्रमाणन	क) सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्राप्त आवेदवों को प्रस्तुत करना।	उपनिदेशक	30 कार्य दिवस
		ख) अपेक्षित कार्य पूरा करने के बाद सक्षम प्राधिकार के माध्यम से सीधा परिदान।		
17.	दाखिल खारिज	दाखिल खारिज वादों का निष्पादन-	अंचलाधिकारी	18 कार्य दिवस
	(1) नियमित अर्द्ध न्यायिक न्यायालय में	(क) आपत्ति रहित वाद		
		(ख) वाद, जिनमें आपत्ति दाखिल की गयी हो	अंचलाधिकारी	30 कार्य दिवस
		(ग) अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	3 कार्य दिवस
	(2) शिविर में	दाखिल खारिज वादों का निष्पादन-	अंचलाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(क) आपत्ति रहित वाद		
		(ख) आपत्ति विहीन वाद में संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 3 कार्य दिवस
		(ग) आपत्ति सहित वाद	अंचलाधिकारी	30 कार्य दिवस
		(घ) आपत्ति युक्त वाद संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्य दिवस
18.	भूमि धारण (पोजेशन) प्रमाण-पत्र	लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट का निर्गमन	अंचलाधिकारी	10 कार्य दिवस
19.	बिहार वैट अधिनियम की धारा-19 के अधीन निबंधन का आवेदन		उपायुक्त/सहयक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी (अंचल का प्रभारी)	15 कार्य दिवस
20.	सी. एस. टी. (रजिस्ट्रेशन एवं टर्न ओभर) रूल्स 1957 के नियम 12 के अधीन प्रपत्र 'C' या 'F' में अनुदान की घोषणा के लिए आवेदन		उपायुक्त/सहयक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी (अंचल का प्रभारी)या अंचल प्रभारी द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी	7 कार्य दिवस

बधाई

चैम्बर सदस्य बिहार कैमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री परसन कुमार सिंह आल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट के ईस्टर्न जोन (बिहार, बंगाल, झारखण्ड एवं उड़ीसा) के निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

श्री सिंह को चैम्बर की हार्दिक बधाई।

रजिस्ट्री में खरीदार और विक्रेता की फोटो जरूरी

फ्लैट हो या जमीन, उसकी रजिस्ट्री के लिए खरीदार व बेचनेवाले की निबंधन विभाग फोटोग्राफी करायेगा। उनके साथ स्थल निरीक्षण करनेवाले विभागीय कर्मचारी की फोटो भी होगी। फोटो संबंधित फ्लैट अथवा जमीन के सामने होगी, ताकि भविष्य में संपत्ति को लेकर किसी तरह के विवाद या फर्जीवाड़ा की आशंका न रह जाये। यह विभागीय नियम भी है, जिस पर जिला निबंधन कार्यालय अब सख्ती से अमल में ला रहा है। स्थल निरीक्षण समेत फोटोग्राफी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक ही दिन में रजिस्ट्री व खरीदारों को दस्तावेज सौंप दिये जा रहे हैं।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 5.11.2017)

निवेदन

चैम्बर के माननीय सदस्यों से चैम्बर के पत्रांक 789 दिनांक 16.11.2017 के द्वारा चैम्बर की मेम्बर डायरेक्ट्री के प्रकाशन हेतु एक Information Sheet संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया था कि वांछित सूचनाएं यथा वर्तमान पता, दूरभाष, ईमेल आदि की जानकारी भेजें। उक्त पत्र ईमेल एवं डाक द्वारा सदस्यों को भेजा गया था।

माननीय सदस्यों से इस बुलेटिन के माधयम से पुन: निवेदन है कि यदि वे सूचनाएं अभी तक नहीं भेजी हो तो शीघ्र चैम्बर के ईमेल- bccpatna@gmail.com पर या डाक द्वारा शीघ्र भेजने की कृपा करें ताकि डायरेक्ट्री प्रकाशन में सुविधा रहे और चैम्बर द्वारा समय-समय पर भेजी जाने वाली सूचनाएं आपको मिलती रहे।

– अमित मुखर्जी, महामंत्री

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296